ऑन लाईन नं. RCMS 2023/133

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 01 /2023

1. अमरलाल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति बिश्नोई निवासी 2 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. अमिता पत्नी अमरलाल जाति बिश्नोई निवासी 2 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कृष्णा पत्नी बलवंत राय जाति बिश्नोई निवासी 2 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   2/1 भूपेन्द्र पुत्र बलवंतराय जाति बिश्नोई निवासी 2 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   2/2 उग्रसेन पुत्र बलवंतराय जाति बिश्नोई निवासी 2 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   2/3. विजेन्द्र पुत्र बलवंतराय जाति बिश्नोई निवासी 2 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 14.06.1985 ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली प्रस्ताव संख्या 4 जिसकी रूह से अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में बिना भूखण्ड संख्या अंकित करते हुये साईज 165x 30 फुट का गांव रोहिड़ावाली में जोहड़ की जगह पर गलत रूप से आवंटन कर दिया को खारिज करने बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री बंशीलाल बिश्नोई, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता सख्या 2/1 व 2/2

:: आदेश ::

दिनांकः 27.03.2026

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता का परिवार ग्राम पंचायत रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का स्थाई निवासी है प्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज इसी गांव के पुराने निवासी है। प्रार्थीगण गांव के जागरूक नागरिक है। प्रार्थीगण के गांव चक 3 पी बडी

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

के खाता संख्या 1/1 मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 4 व 5 में 2 बीघा में जोहड़ स्थित है। प्रार्थीया संख्या 2 के नाम से चक 3 पी बडी के मुरब्बा नं. 7 का किला नं. 6. 7. 14 ता 17, 24, 25 में कृषि भूमि दर्ज जमाबन्दी है, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है। प्रार्थीया संख्या 2 के उक्त रकबा मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 4 में सें प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा दिनांक 01.06.1969 से रास्ता ग्राम पंचायत से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर 165X16 फुट स्वीकृत करवाया हुआ है। यानि दिनांक 01.06.1969 से उक्त रास्ता चालू है जिसका आवंटन ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता के रूप में किया हुआ है। जिसे प्रार्थीगण अपने उक्त वर्णित रकबा को काश्त करते आ रहे है। फोटोप्रति ग्राम पंचायत आदेश दिनांक 01.06.1969 व रसीद सलंग्न निगरानी है।

यह कि दिनांक 26.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवंत राय, उग्रसेन पुत्र श्री बलवंत राय, विजेन्द्र पुत्र बलवंत राय, सिकन्दर पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह, कर्मचन्द पुत्र विक्रमजीत के द्वारा एकराय होकर कृषि औजार रखकर पशु बांधकर व लकड़िया आदि गिराकर उक्त रास्ता अवरूद्ध कर दिया और जब प्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस बात का उलाहना अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान को दिया तो अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान प्रार्थी संख्या के साथ लडाई झगडा करने को उतारू हो गये और कहा कि ये रास्ता तो हम बंद करके ही रहेगे और तुम्हें इस रास्ता से नही जाने देगे। जिस पर प्रार्थी संख्या । द्वारा कहा कि उक्त रास्ता की लिखापढी ग्राम पंचायत में हुई है तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है तो अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान द्वारा कहा कि हम कोई लिखापढी को नही मानते और कौनसी ग्राम पंचायत कोई ग्राम पंचायत नहीं है। हम ही ग्राम पंचायत है और हम ही सरकार है ये रास्ता से हम तुम्हे नही जाने देगे अपनी सलामती चाहते हो तो भाग जांओ यहां से, जिसके बाद प्रार्थी संख्या । अपनी जान बचाकर वहां से घर आ गया। इस आश्य का एक प्रार्थना पत्र प्रार्थीया संख्या 2 के द्वारा पुलिस थाना हिन्दूमलकोट व श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा जांच की गयी व वर्तमान में अतिरिक्त जिलाधीश सतर्कता के द्वारा जांच की जा रही है। दौराने जांच उक्त विवादित पटटा जो दिनांक 14.06.1985 ग्राम पंचायत रोहिडावाली प्रस्ताव संख्या 4 जिसकी रूह से अप्रार्थी संख्या । द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में बिना भूखण्ड संख्या अंकित करते हुये साईज 165X30 फुट का गांव रोहिडावाली में जोहड़ की जगह पर गलत रूप से आवंटन कर दिया की जानकारी हुई तो ग्राम पंचायत से उक्त विवादित आदेश/पटटा की मांग की गयी तो रिकार्ड में उपलब्ध नही होना बताया जिस पर जांच अधिकारी से पटटा की फोटोप्रति प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी अवैध पटटा दिनांक 14.06.1985

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

के विरूद्ध फोटोप्रति के आधार पर अभिलेख से विधिक ज्ञान प्राप्त कर बिना किसी देरी के निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:-

1. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 14.06.1986 जो विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया गया है, जो बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना के विपरीत बिना किसी जांच के विधि के विपरीत होने के कारण एक पक्षीय तौर पर जारी किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।
2. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में किये गये आवंटन के संबंध में ना तो अप्रार्थी संख्या 2 से कोई आवेदन प्राप्त किया गया है, ना ही मौका निरीक्षण फीस जमा करवाई गई, ना ही कोई नक्शा पास करवाया गया, ना ही कोई नक्शा का अनुमोदन करवाया गया, ना ही पंचो की कमेटी बनाई जाकर आवंटन की जाने वाली जगह के संबंध में यह रिपोर्ट मंगवाई गई कि उक्त जगह आवंटन योग्य है या नही, ना ही कोई सार्वजनिक रूप से आपत्ति नोटिस जारी किया गया, ना ही कोई प्रस्ताव या आज्ञाएं पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा पारित की गई। केवल मात्र चुपचुप तरीके से बाजार से आवासीय भूमि का पट्टा प्रारूप आबादी भूमि का विक्रय विलेख खरीदकर चुपचुप तरीके से पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में केवल मात्र राजनैतिक लाभ प्राप्त करने व चुनावी रेवड़ियों के रूप में अप्रार्थी संख्या 2 को काटकर दे दिया गया। इसलिये भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 14.06.1986 निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि अप्रार्थीगण के पूर्ण रूप से जानकारी में था कि चक 3 पी बड़ी में मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 4 व 5 में जोहड़ 2 बीघा रकबा दर्ज है और उक्त रकबा में प्रार्थीगण की कृषि भूमि जो कि प्रार्थीया संख्या 2 के नाम से चक 3 पी बड़ी के मुरब्बा नं. 7 का किला नं. 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 में कृषि भूमि दर्ज जमाबन्दी है, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है। प्रार्थीया संख्या 2 के उक्त रकबा मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 4 में से प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा दिनांक 01.06.1969 से रास्ता ग्राम पंचायत से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर 165x16 फुट स्वीकृत करवाया हुआ है जो दिनांक 01.06.1969 से उक्त रास्ता चालू है जिसका आवंटन ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता के रूप में किया हुआ है। जिसे प्रार्थीगण अपने उक्त वर्णित रकबा को काश्त करते आ रहे है। फोटोप्रति ग्राम पंचायत आदेश दिनांक 01.06.1969 व रसीद सलंग्न निगरानी है। अप्रार्थी संख्या 1 के रिकार्ड में उक्त समस्त तथ्य दर्ज है फिर भी इस बात की जानकारी होते हुये कि मौका पर जो रास्ता है उसका आवंटन रास्ता के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा किया हुआ है फिर भी अप्रार्थी संख्या 2

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

को उक्त वर्णित जोहड़ की भूमि का गलत रूप से आवंटन कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि प्रार्थीगण जो कि जागरूक नागरिक है, अप्रार्थी संख्या 2 जो कि प्रभावशाली व्यक्ति है, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 14.06.1986 को पूर्व में आवंटित रास्ता भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 को जोहड़ की भूमि की जगह पर कर दिया गया। इसलिये उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि प्रार्थीगण यह भी स्पष्ट कर रहे है कि उक्त पट्टा दिनांक 14.06.85 को जारी करने बताया जा रहा है जिस पर मृतक पूर्व सरपंच गुरदेव सिंह के हस्ताक्षर है जबकि उक्त पट्टा पूर्व में कभी भी प्रार्थीया संख्या 2 द्वारा पेश नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 व उसके वारिसान जिनका इन्द्राज पैरा सं. 2 में किया गया है, द्वारा षड्यंत्र पूर्व तरीके से जालसाजी करके किया गया हो ताकि प्रार्थीगण को आवंटित रास्ता से वंचित कर दिया जावे। जिसके संबंध में प्रार्थीगण फौजदारी प्रकरण प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते है।

6. यह कि उक्त विवादग्रस्त पट्टा की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 26.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवंत राय, उग्रसेन पुत्र श्री बलवंत राय, विजेन्द्र पुत्र बलवंत राय, सिकन्दर पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह, कर्मचन्द पुत्र विक्रमजीत के द्वारा एकराय होकर कृषि औजार रखकर पशु बांधकर व लकड़िया आदि गिराकर उक्त रास्ता अवरूद्ध कर दिया और जब प्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस बात का उलाहना अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान को दिया तो अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान प्रार्थी संख्या 1 के साथ लडाई झगडा करने को उतारू हो गये और कहा कि ये रास्ता तो हम बंद करके ही रहेगे और तुम्हें इस रास्ता से नही जाने देगे। जिस पर प्रार्थी संख्या 1 द्वारा कहा कि उक्त रास्ता की लिखापढी ग्राम पंचायत में हुई है तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है तो अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान द्वारा कहा कि हम कोई लिखापढी को नही मानते और कौनसी ग्राम पंचायत कोई ग्राम पंचायत नही है हम ही ग्राम पंचायत है और हम ही सरकार है ये रास्ता से हम तुम्हे नही जाने देगे अपनी सलामती चाहते हो तो भाग जाओ यहां से, जिसके बाद प्रार्थी संख्या 1 अपनी जान बचाकर वहां से घर आ गया। इस आशय का एक प्रार्थना पत्र प्रार्थीया संख्या 2 के द्वारा पुलिस थाना हिन्दूमलकोट व श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा जांच की गयी व वर्तमान में अतिरिक्त जिलाधीश सतर्कता के द्वारा जांच की जा रही है। दौराने जांच उक्त विवादित पट्टा जो दिनांक 14.06.1985 ग्राम पंचायत रोहिडाबाली प्रस्ताव

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 4 जिसकी रूह से अप्रार्थी संख्या । द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में बिना भूखण्ड संख्या अंकित करते हुये साईज 165X30 फुट का गांव रोहिडावाली में जोहड़ की जगह पर गलत रूप से आवंटन कर दिया की जानकारी हुई तो ग्राम पंचायत से उक्त विवादित आदेश/पट्टा की मांग की गयी तो रिकार्ड में उपलब्ध नही होना बताया जिस पर जांच अधिकारी से पट्टा की फोटोप्रति प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी अवैध पट्टा दिनांक 14.06.1985 के विरूद्ध फोटोप्रति के आधार पर अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर बिना किसी देरी के निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। जिसके लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व फोटोप्रति के आधार पर निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति अलग से पेश किया जा रहा है।

7. यह कि चक 3 पी बडी में जोहड का रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण राज्य सरकार पक्षकार संख्या 3 बनाया गया है।
8. यह कि उक्त निगरानी श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है व उचित कोर्ट फीस पर पेश की जा रही है।

अतः निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 14.06.1985 ग्राम पंचायत रोहिडावाली प्रस्ताव संख्या 4 जिसकी रूह से अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में बिना भूखण्ड संख्या अंकित करते हुये साईज 165X30 फुट का गांव रोहिडावाली में जोहड़ की जगह पर गलत रूप से आवंटन कर दिया को खारिज फरमाया जावे।

निगरानी से सबंधित रेकार्ड एवं रिपोर्ट ग्राम पंचायत से तलब किया गया। रिपोर्ट ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली, पंचायत समिति श्रीगंगानगर दिनांक 09.02.2023 में अंकित किया कि अपील में चाहा गया पट्टा सम्बन्धि रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है,उपरोक्त रिकॉर्ड सरपंच ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली में गुम हो चुका है जिसकी एफ.आई.आर. पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर में दर्ज करवाई हुई है। जिसकी फोटो प्रति सलंग्न पत्र है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा अपनी लिखित प्रस्तुत कर निम्नानुसार कथन किया:–

1. मान्यवर जी, प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है निगरानीकर्ता का परिवार ग्राम पंचायत रोहिडावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का स्थाई निवासी है प्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज इसी गांव के पुराने निवासी है। प्रार्थीगण गांव के जागरूक नागरिक है। प्रार्थीगण के गांव चक 3 पी बडी के खाता संख्या 1/1 मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 4 व 5 में 2 बीघा में जोहड़ स्थित है। प्रार्थीया संख्या 2 के नाम से चक 3 पी बडी के मुरब्बा नं. 7 का किला नं. 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 में कृषि भूमि दर्ज जमाबन्दी है, जमाबन्दी की प्रमाणित

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थीया संख्या 2 के उक्त रकवा चक 3 जी बड़ी के खाता संख्या 1/1 के लिये मुरब्बा नं. 7 के रकबा के लिये किला नं. 4 में से प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा दिनांक 01.06.1969 से रास्ता ग्राम पंचायत से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर 165X16 फुट स्वीकृत करवाया हुआ है। यानि दिनांक 01.06.1969 से उक्त रास्ता चालू है जिसका आवंटन ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता के रूप में किया हुआ है। जिसे प्रार्थीगण अपने उक्त वर्णित रकबा को काश्त करते आ रहे है। फोटोप्रति ग्राम पंचायत आदेश दिनांक 01.06.1969 व रसीद संलग्न निगरानी है।

2. माननीय जी, दिनांक 26.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवंत राय, उग्रसेन पुत्र श्री बलवंत राय, विजेन्द्र पुत्र बलवंत राय, सिकन्दर पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह, कर्मचन्द पुत्र विकमजीत के द्वारा एकराय होकर कृषि औजार रखकर पशु बांधकर व लकड़िया आदि गिराकर उक्त रास्ता अवरूद्ध कर दिया और जब प्रार्थी संख्या । द्वारा इस बात का उलाहना अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान को दिया तो अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान प्रार्थी संख्या के साथ लडाई झगडा करने को उतारू हो गये और कहा कि ये रास्ता तो हम बंद करके ही रहेगें और तुम्हें इस रास्ता से नही जाने देगें। जिस पर प्रार्थी द्वारा कहा कि उक्त रास्ता की लिखापढी ग्राम पंचायत में हुई है तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है तो अप्रार्थी संख्या 1 के वारिसान द्वारा कहा कि हम कोई लिखापढी को नही मानते और कौनसी ग्राम पंचायत कोई ग्राम पंचायत नही है हम ही ग्राम पंचायत है और हम ही सरकार है। इस रास्ता से हम तुम्हे नही जाने देगे अपनी सलामती चाहते हो तो भाग जाओ यहां से, जिसके बाद प्रार्थी संख्या 1 अपनी जान बचाकर वहां से घर आ गया। इस आश्य का एक प्रार्थना पत्र प्रार्थीया संख्या 2 के द्वारा पुलिस थाना हिन्दूमलकोट व श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा जांच की गयी व वर्तमान में अतिरिक्त जिलाधीश सतर्कता के द्वारा जांच की जा रही है। दौराने जांच उक्त विवादित पटटा जो दिनांक 14.06.1985 ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली प्रस्ताव संख्या 4 जिसकी रूह से अप्रार्थी संख्या । द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में बिना भूखण्ड संख्या अंकित करते हुये साईज 165X30 फुट का गांव रोहिडावाली में जोहड़ की जगह पर गलत रूप से आवंटन कर दिया कि जानकारी हुई तो ग्राम पंचायत से उक्त विवादित आदेश/पटटा की मांग की गयी तो रिकार्ड में उपलब्ध नही होना बताया जिस पर जांच अधिकारी से पट्टा की फोटोप्रति प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी अवैध पट्टा दिनांक 14.06.1985 के विरूद्ध फोटोप्रति के आधार पर अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर बिना किसी देरी के निगरानी प्रस्तुत की हुई है। पुराने व पंचायत राज. अधिनियम 1994 में निगरानी प्रस्तुत करने की कोई समयावधि नहीं है। अवैध आदेश के विरूद्ध कभी भी निगरानी प्रस्तुत की जा सकती है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

3. मान्यवर जी, ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा दिनांक 14.06.1985 को विधि विरूद्ध तरीके से जारी नही किया गया है, क्योंकि बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की पालना के विपरीत बिना किसी जांच के विधि के विपरीत होने के कारण एक पक्षीय तौर पर जारी किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

4. मान्यवर जी, अप्रार्थी संख्या । द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में किये गये आवंटन के संबंध में ना तो अप्रार्थी संख्या 2 से कोई आवेंदन प्राप्त किया गया है, ना ही मौका निरीक्षण फीस जमा करवाई गई, ना ही कोई नक्शा पास करवाया गया, ना ही कोई नक्शा का अनमोदन करवाया गया, ना ही पंचो की कमेटी बनाई जाकर आवंटन की जानी वाली जगह के संबंध में यह रिपोर्ट मंगवाई गई कि उक्त जगह आवंटन योग्य है या नही, ना ही कोई सार्वजनिक रूप से आपत्ति नोटिस जारी किया गया, ना ही कोई प्रस्ताव या आज्ञाएं सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पारित की गई। केवल मात्र गुपचुप तरीके से बाज़ार से आवासीय भूमि का पट्टा प्रारूप आबादी भूमि का विकय विलेख खरीदकर गुपचुप तरीके से पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में केवल मात्र राजनीतिक लाभ प्राप्त करने व चुनावी रेवडियो के रूप में अप्रार्थी संख्या 2 को काटकर दे दिया गया। इसलिये भी अप्रार्थी संख्या । द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 14.06.1985 निरस्त किये जाने योग्य है।

5. मान्यवर जी, अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्ण रूप से जानकारी में था कि चक 3 पी बडी में मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 4 व 5 कुल 2 बीघा रकबा जोहड में दर्ज है और उक्त रकबा मे में प्रार्थीगण की कृषि भूमि जो कि प्रार्थीया संख्या 2 के नाम से चक 3 पी बडी के मुरब्बा नं. 7 का किला नं. 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 में कृषि भूमि दर्ज जमाबन्दी है, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है। प्रार्थीया संख्या 2 के उक्त रकबा मुरब्बा नं. 7 के किला नं. 4 में से प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा दिनांक 01.06.1969 से रास्ता ग्राम पंचायत से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर 165X16 फुट स्वीकृत करवाया हुआ है यानि दिनांक 01.06.1969 से उक्त रास्ता चालू है जिसका आवंटन ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता के रूप में किया हुआ है। जिसे प्रार्थीगण अपने उक्त वर्णित रकबा को काश्त करते आ रहे है। फोटोप्रति ग्राम पंचायत आदेश दिनांक 01.06.1969 व रसीद सलंग्न निगरानी है। अप्रार्थी के रिकार्ड में उक्त समस्त तथ्य दर्ज है फिर भी इस बात की जानकारी होते हुये कि मौका पर जो रास्ता है उसका आवंटन रास्ता के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा किया हुआ है, फिर भी अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त वर्णित जोहड़ की भूमि का गलत रूप से आवंटन कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

6. मान्यवर जी, प्रार्थीगण जो कि जागरूक नागरिक है, अप्रार्थी संख्या 2 जो कि प्रभावशाली व्यक्ति है, अप्रार्थी संख्या द्वारा दिनांक 14.06.1985 को पूर्व में आवंटित रास्ता भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 को जोहड़ की भूमि की जगह पर कर दिया गया। इसलिये उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

7. मान्यवर जी, प्रार्थीगण यह भी स्पष्ट कर रहे है कि उक्त पटटा दिनांक 14.06.85 को जारी करना बताया जा रहा है जिस पर मृतक पूर्व सरपंच गुरदेव सिंह के हस्ताक्षर है जबकि उक्त पटटा पूर्व में कभी भी प्रार्थीया संख्या 2 द्वारा पेश नही किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त पटटा अप्रार्थी संख्या 2 व उसके वारिसान जिनका इन्द्राज पैरा सं. 2 में किया गया है द्वारा षडयंत्र पूर्व तरीके से जालसाजी करके तैयार किया गया हो ताकि प्रार्थीगण को आवंटित रास्ता से वंचित कर दिया जावे। जिसके संबंध में प्रार्थीगण फौजदारी प्रकरण प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते है।

8. मान्यवर जी, उक्त विवादग्रस्त पटटा की सर्वप्रथम जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 26.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवंत राय, उग्रसेन पुत्र श्री बलवंत राय, विजेन्द्र पुत्र बलवंत राय, सिकन्दर पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह, कर्मचन्द पुत्र विक्रमजीत के द्वारा एकराय होकर कृषि औजार रखकर पशु बांधकर व लकड़िया आदि गिराकर उक्त रास्ता अवरूद्ध कर दिया और जब प्रार्थी संख्या । द्वारा इस बात का उलाहना अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान को दिया तो अप्रार्थी संख्या 2 के वारिसान प्रार्थी संख्या । के साथ लडाई झगडा करने को उतारू हो गये और कहा कि ये रास्ता तो हम बंद करके ही रहेगे और तुम्हें इस रास्ता से नही जाने देगें। जिस पर प्रार्थी संख्या 1 द्वारा कहा कि उक्त रास्ता की लिखापढी ग्राम पंचायत में हुई है तथा ग्राभ पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है तो अप्रार्थी संख्या के वारिसान द्वारा कहा कि हम कोई लिखापढी को नही मानते और कौनसी ग्राम पंचायत कोई ग्राम पंचायत नही है हम ही ग्राम पंचायत है और हम ही सरकार है ये रास्ता से हम तुम्हे नही जाने देगे अपनी सलामती चाहते हो तो भाग जाओ यहां से, जिसके बाद प्रार्थी संख्या । अपनी जान बचाकर वहां से घर आ गया। इस आश्य का एक प्रार्थना पत्र प्रार्थीया संख्या 2 के द्वारा पुलिस थाना हिन्दूमलकोट व श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा जांच की गयी व वर्तमान में अतिरिक्त जिलाधीश सतर्कता के द्वारा जांच की जा रही है। दौराने जांच उक्त विवादित पट्टा जो दिनांक 14.06.1985 ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली प्रस्ताव संख्या 4 जिसकी रूह से अप्रार्थी संख्या । द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में बिना भूखण्ड संख्या अंकित करते हुये साईज 165X30 फुट का गांव रोहिडावाली में जोहड़ की जगह पर गलत रूप से आवंटन कर दिया कि जानकारी हुई तो ग्राम पंचायत से उक्त विवादित आदेश/पटटा की मांग की गयी तो रिकार्ड में उपलब्ध नही होना बताया जिस पर जांच अधिकारी से पटटा की फोटोप्रति प्राप्त कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी अवैध पट्टा दिनांक 14.06.1985 के विरूद्ध फोटोप्रति के आधार पर अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर बिना किसी देरी के निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। जिसके लिये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व फोटोप्रति के आधार पर निगरानी प्रस्तुत करने की अनुमति अलग से पेश की गयी है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

9. मान्यवर जी, विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा समस्त ग्राम रोवको को चारागाह, जोहड़ पायतन और तालाबो की भूमियो से निजी अतिक्रमण हटाने के लिये पत्र कमांक 142 दिनांक 16.04.2011 को जारी किया गया था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया गया था। जिला कलैक्टर कार्यालय से भी ऐसे ही आदेश जारी किये गये है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जसपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के प्रकरण में चारागाह भूमियो, जोहड़ पायतन व तालाब की भूमियो से अतिक्रमण हटाने के लिये निर्देश जारी किये हुये है। ऐसी भूमियो क गलत आवंटन पर रिफरेंस पेश करने के निर्देश दिये हुये है।
10. मान्यवर जी, दौराने निगरानी के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 2 कृष्णा का स्वर्गवास हो गया था जिसके विधिक प्रतिनिधियो को आवयश्यक पक्षकार बना दिया गया था।
11. मान्यवर जी, उक्त विवादित पट्टा जोहड़ पायतन की भूमि पर काटा गया है जिसके संबंध में तहसीलदार, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट व जमाबन्दी चक 3 पी बड़ी के खाता संख्या 1/1 पत्रावली में उपलब्ध है, तहसीलदार की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है जिस जगह का पट्टा काटा गया है वह भूमि गैरमुमकिन जोहड पायतन की है। इसलिये भी अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 14.06.1985 खारिज किये जाने योग्य है।

अतः लिखित बहस विरूद्ध आदेश दिनांक 14.06.1985 ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली प्रस्ताव संख्या 4 जिसकी रूह से अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में बिना भूखण्ड संख्या अंकित करते हुये साईज 165X30 फुट का गांव रोहिडावाली में जोहड़ की जगह पर गलत रूप से आवंटन कर दिया को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2/1 व 2/1 की तरफ से लिखित बहस का जवाब मय लिखित बहस निम्नलिखित है :–

1. यह कि बहस का पैरा संख्या–1 अस्वीकार व गलत है जबकि सही तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण की माता के नाम दिनांक 14.06.1985 को ग्राम पंचायत रोहिडावालीं की तरफ से एक भूखण्ड 30 गुणा 165 फीट का पट्टा जारी किया गया है उसी दिन से अप्रार्थीगण उक्त भुखण्ड पर मकान सहित काबिज हैं।
2. यह कि बहस का पैरा संख्या–2 गलत व अस्वीकार है सही तथ्य यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी एक ही परिवार के सदस्य हैं व निगरानी से पूर्व संयुक्त खेती करते थे इसलिए भुखण्ड के एक तरफ से अप्रार्थीगण द्वारा अपने खेत में मुरब्बा नं. 07 चक 3–पी में आने जाने के लिए संयुक्त रूप से अपने खेत में आते जाते थे ना कि अन्य कोई इसे रास्ते के रूप में उपयोग में लाते थें।
3. यह कि पैरा संख्या–3 गलत व अस्वीकार है।
4. यह कि पैरा संख्या–4 गलत व अस्वीकार है।
5. यह कि पैरा संख्या–5 गलत व अस्वीकार है। सही तथ्य यह है कि उक्त किला संख्या 4 व 5 ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा 1984 में जिला कलेक्टर द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आबादी भूमि में परिवर्तन करवाकर व आबादी भूमि में से दो बीघा जोहड पायतन के लिए सुरक्षित करवाकर किया गया था जिसका रिकॉर्ड ग्राम पचायत में मौजूद है व उसी कार्यकाल में सरपंच द्वारा उक्त दो बीघा भूमि में राजकीय पशु चिकित्सालय, पंचायत घर, बालिका स्कूल का भी पट्टा जारी किया उक्त बची हुई जगह 30 गुणा 165 फीट का पट्टा प्रार्थीगण की माता के नाम से जारी किया हुआ है।

6. यह कि पैरा संख्या 6 अस्वीकार व गलत है। सही तथ्य यह है कि उक्त पट्टा विधि अनुसार जारी किया गया है।
7. यह कि पैरा सख्या 7 अस्वीकार व गलत है।
8. यह कि पैरा संख्या 8 अस्वीकार व गलत है सही तथ्य यह है कि प्रार्थी की निगरानी मियादवार है क्योंकि प्रार्थी को जन्म से ही जानकारी थी व अप्रार्थीगण ने 2021 में अपने भुखण्ड पर मकान का ब्लयू प्रिंट नक्शा भी बनवाया गया था इसलिए मियादवार होने की वजह से निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।
9. यह कि पैरा संख्या 9 सवोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला तक स्वीकार है परन्तु उक्त भूमि का जिला कलक्टर द्वारा दो बीघा भूमि का भूमि के बदले भूमि देकर स्वीकृत किया हुआ है क्योंकि दो बीघा भूमि पशु चिकित्सालय पंचायत घर, बालिका विद्यालय, आदि के पट्टे बने हुए हैं क्योंकि उक्त भूमि सुविधानुसार गांव के बाहर सड़क से चिपती हुई है। आमजन की सुविधा के लिए उक्त भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन करवाकर पट्टे जारी किये हुए हैं।
10. यह कि पैरा संख्या–10 अस्वीकार है।
11. यह कि पैरा 11 अस्वीकार व गलत है सही तथ्य यह है कि वर्तमान प्रकरण में न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट मंगवाने पर दिनांक 29.01.2024 रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीकर्ता की निगरानी मियाद बार होने की वजह से भारी खर्चे के साथ खारिज की जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। "ग्राम पंचायत राहिड़ावाली की रिपोर्ट दिनांक 09.02.2023 में अंकित किया कि अपील में चाहा गया पट्टा सम्बन्धि रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, उपरोक्त रिकॉर्ड सरपंच ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली में गुम हो चुका है जिसकी एफ.आई.आर. पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर में दर्ज करवाई हुई है" एवं रिपोर्ट दिनांक 29.01.2024 जिसका हवाला अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में दिया में अंकित किया है "मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का , कार्यालय ग्राम पंचायत राहिड़ावाली के पत्र दिनांक 24.01.2024 तथा एफ.आई.आर. के मुताबिक ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली का पुराना रिकॉर्ड गुम हो चुका है, जिसकी सम्बन्धित थाना में एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई गई थी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

क्योंकि जोहड़पायतन से सम्बन्धित प्रकरण ग्राम पंचायत स्तर पर रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं।"

"उक्त विवादित भूखण्ड से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट जो उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा अपने पत्र कमांक :-भू0अ0/2022/426 दिनांक 09.12.2022 श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (सातर्कता) श्रीगंगानगर को भिजवाई गई में अंकित किया है कि "प्रार्थीया अमिता द्वारा मुरब्बा नम्बर 07 के किला नम्बर 4 में ग्राम पंचायत रोहिड़वाली द्वारा 165 गुणा 16 फीट रास्ता स्वीकृति की रसीद व कार्यवाही विवरण की चित्रप्रति प्रस्तुत की। विवादित रकबा राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. जोहड़पायतन के नाम दर्ज है। फर्द मौका व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात संलग्न रिपोर्ट है।"

ग्राम पंचायत की रिपोर्ट एव उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत रोहिड़वाली के चक 3 पी बड़ी का मुरब्बा नम्बर 07 का किला नम्बर 4 राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु.जोहड़पायतन के नाम दर्ज है।

अतः उक्त निगरानी में वर्णित भूमि की किस्म गैरमुमकिन जोहड़ होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 (मृतका) को किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है तथा राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.3(146)राज-7/2011 जयपुर, दिनांक 26-06-12 में वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 1132/11 जगपालसिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28-01-11, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-04 एवं एस0बी0सिविल रिट याचिका सं0 11153/2011 सुआमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29-05-12 किया है एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29-05-12 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों जैसे नदी, नाला, तालाब, जोहड़ के रूप में दर्शायी गई है तथा जिनके **Water Flow** से उक्त जलाशयों में पानी पहुँचता है, में किये गये भूमि आवंटन एवं खातेदारी अधिकार दिये गये हैं, को धारा 16 के विपरीत मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि 31-10-1955 की स्थिति अनुसार नदी, नाला, तालाब, बॉध, जोहड़ की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये हैं, के आलोक में गैरनिगरानीकर्ता संख्या -2 (मृतका) के नाम ग्राम पंचायत रोहिड़वाली के प्रस्ताव संख्या-4 दिनांक 14.06.1985 से बिना भूखण्ड संख्या अंकित करते हुए साईज 165X30 फुट का गांव रोहिड़वाली में जोहड़ की जगह पर गलत रूप आवंटन किये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या -2 ग्राम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत रोहिड़वाली के प्रस्ताव संख्या–4 दिनांक 14.06.1985 से बिना भूखण्ड संख्या अंकित करते हुए साईज 165X30 का जो आवंटन किया गया हैं निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner